निर्णय बइजलास श्री गोविन्दसिंह (**R.A.S.**) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द

प्रकरण 45/19 रे.वाद निर्णय दिनांक :– 12.02.2020

अनवान

श्रीमती चुन्नी देवी पत्नि स्वर्गीय खीमाराम जी जाति बलाई आयु 72 वर्ष निवासी दिवेर तहसील भीम जिला राजसमन्द

———प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़

———विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री राजुसिंह अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि ग्राम डोडिया खेडा पटवार हल्का नरदास का गुडा तहसील देवगढ में स्थित है। जिसके खा0सं0 2, ख0नं0 2 रकबा 1.05 बीघा, ख0नं0 3 रकबा 0.11 विस्वा, ख0नं0 4 रकबा 0.11 विस्वा, ख0नं0 5 रकबा 0.15 विस्वा, ख0नं0 6 रकबा 0.10 विस्वा, ख0नं0 7/1 रकबा 4.00 बीघा कुल किता 06 कुल रकबा 8.03 बीघा है। उक्त अराजियात पूर्व से खातेदार भैरा पिता रामा बलाई निवासी डोडिया खेडा की थी। जिनकी मृत्यु होने पर विरासत से वादग्रस्त भूमि उक्त खातेदार की पुत्रवधु प्रार्थीया चुन्नी व उनकी पुत्रिया पानी, डाली व पुष्पा के खाते दर्ज करते समय चुन्नी व उनकी पुत्रिया पानी, डाली व पुष्पा के नाम के साथ उनके मृतक पति व पुत्रियों के पिता का नाम लिखना था क्योंकि प्रार्थीया के पति व पुत्रियों के पिता खीमाराम पिता भैरा का स्वर्गवास भैरा पिता रामा के जीवनकाल में ही निधन हो गया था। प्रार्थीया व उसकी पुत्रियों का नाम खाते में चुन्नी बेवा खीमाराम व पानी, डाली एवं पुष्पा पिता खीमा राम दर्ज होना चाहिये था जो राजस्व कर्मचारियों की गलती से चुन्नी बेवा भैरा, पानी डाली व पुष्पा पिता भैरा लिख दिया जो गलत लिखा गया है। सही नाम चुन्नी बेवा खीमाराम व पानी, डाली एवं पुष्पा पिता खीमाराम है जो उसके राशनकार्ड, आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड एवं मतदाता निर्वाचन पहचान पत्र में दर्ज है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम डोडिया का खेडा की खातेदारी भूमि के खाते में उसके नाम के खाते में सुधार

सहायक कलक्टर
देवगढ़, जिला–राजसमन्द

... डाली एवं पुष्पा पिता भैरा के स्थान पर चुन्नी बेवा खीमाराम व पानी, ...
... पिता खीमाराम लिखा जाने के आदेश प्रदान करावें व रेकार्ड में अमल दरामद कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन ...
... अनुसार में विपक्षी तहसीलदार देवगढ़ ने जवाब पेश किया। जवाब शा.फा. किया गया ...
... जवाब पेश किया जिसमें निवेदन किया है कि मृतक भैरा पिता रामा के वारिस पत्नि श्रीमति देउ पुत्र ...
... मृत्यु होने से इनके वारिस चुन्नी पिता खीमा, पानी, डाली एवं पुष्पा पुत्रियां है। वर्तमान रेकार्ड ...
... भैरा का अंकन है जो गलत है, वास्तव में चुन्नी खीमा की पत्नि है। अतः प्रार्थना पत्र अनुसार रे...
... किया जावे तो राज्य सरकार को कोई आपत्ती नही है। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने बहस की ...
... प्रार्थी ने बहस में तर्क दिया कि ग्राम डोडिया का खेडा की खातेदारी भूमि के खाते में उसके न...
... में सुधारकर चुन्नी बेवा भैरा व पत्नि डाली एवं पुष्पा पिता भैरा की बजाय चुन्नी बेवा खीमार...
... डाली एवं पुष्पा पिता खीमाराम लिखा जाने के आदेश प्रदान करावें।

इसने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र जवाब विपक्षी नकल जमाबंदी, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार ...
निर्वाचन कार्ड, राशन कार्ड आदि का अवलोकन किया तथा विद्ववान वकील प्रार्थी की बहस पर म...
किया। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि प्रार्थीया चुन्नी देवी का चुन्नी बेवा भैरा व पानी, डाली व पुष्पा पिता भै...
गलत है जिसे सुधार सही नाम चुन्नी बेवा खीमाराम व पानी, डाली एवं पुष्पा पिता खीमाराम दर्ज करने ...
आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमा...
हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर
देवगढ़